

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1414/दो-9-2018-53(24)/2002टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री चन्द्र शेखर गुप्ता, पी0सी0एस0, (से0नि0) को उनके स्वयं की दिनांक 18.11.2017 से 04.01.2018 तक एवं दिनांक 01.02.2018 से 17.04.2018 तक डा0 गौरव गुप्ता, डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष कमशः धनराशि रू0-1,31,503/- एवं रू0-1,83,567/- अर्थात् कुल रू0-3,15,070/- (रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार सत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0401- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री चन्द्र शेखर गुप्ता, पी0सी0एस0, (से0नि0) का बैंक ऑफ इण्डिया महानगर, शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-680410110009041 तथा आई0एफ0एस0 कोड-बी0के0आई0डी0-0006804 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-एल0के0एन0/89549 है। श्री गुप्ता, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1414(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री चन्द्र शेखर गुप्ता, पी0सी0एस0, (से0नि0), एम-1 ए, गोल मार्केट महानगर, लखनऊ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1451/दो-9-2018-53(49)/2008
लखनऊ: दिनांक: १४ जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शंकर लाल जायसवाल, पी0सी0एस0, (से0नि0) को उनके स्वयं की दिनांक 24.06.2016 से 26.02.2018 तक डा0 एस0 मुंशी, लतिका, क्लीनिक, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-36,567/- (रूपये छत्तीस हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री शंकर लाल जायसवाल, पी0सी0एस0, (से0नि0) का भारतीय स्टेट बैंक विधान सभा मार्ग, लखनऊ में खाता संख्या-55103331267 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0050278 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/059888 है। श्री जायसवाल जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या-1451(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
 3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
 4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 6. श्री शंकर लाल जायसवाल, पी0सी0एस0, (से0नि0), 1206ए, सेक्टर-आई एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ।
- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1825/दो-9-2018-8(10)/2013
लखनऊ, दिनांक २४ जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग को उनकी पत्नी श्रीमती शोभावती की दिनांक 09.11.2017 से 14.11.2017 तक एवं दिनांक 21.11.2017 से 20.01.2018 तक डा0 अमित सिंह, सेन्ट जोसेफ हास्पिटल, एवं डा0 निधी सिंह, सुपर स्पेसिलिटी डेन्टल क्लीनिक, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-1,693/- एवं रू0-850/- अर्थात् कुल रू0-2,543/- (रूपये दो हजार पांच सौ तैंतालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।


संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या-1825(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव 2